उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ

सभी संबंधितों को SEE-UPTU: 2009 की प्रवेश परीक्षा की काउन्सिलिंग कार्यक्रम में परिवर्तन संबंधी सूचना।

1. SEE-UPTU:2009 की प्रवेश परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की विभिन्न चरणों की दिनांक 10 जुलाई 2009 से प्रारम्भ करके दिनांक 17 अगस्त, 2009 तक काउन्सिलिंग सम्पन्न कराने हेतु सभी तैयारियॉं पूरी की गयी तथा सभी संबंधित व्यक्तियों/ अभ्यर्थियों को तत्संबंधी विस्तृत सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट, समाचार पत्रों/ काउन्सिलिंग पत्रों के माध्यम से प्रदान कर दी गयी थी।
2. इस बीच उत्तर प्रदेश में स्थित निजी क्षेत्र के कई संस्थानों ने मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ में रिट-पिटीशन दायर की, जिस पर मा0 उच्च न्यायालय ने उ0प्र0 राज्य आरक्षण अधिनियम 2006 पर अंतरिम स्थगनादेश प्रदान किये गये। मा0 उच्च न्यायालय के उक्त अंतरिम स्थगनादेशों के विरूद्ध उ0प्र0 प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में दाखिल की गई एस.एल.पी. में जो अंतरिम आदेश प्राप्त हुआ उस पर आवश्यक विधिक व्यवस्थाओं एवं व्यवहारिक स्थितियों पर समग्र रूप से विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि दिनांक 10 जुलाई, 2009 से प्रारम्भ होने वाली काउन्सिलिंग को स्थगित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

अत: सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 10 जुलाई, 2009 से प्रारम्भ होने वाली SEE-UPTU: 2009 प्रवेश परीक्षा की आन लाइन काउन्सिलिंग को स्थगित कर दिया गया है। इस संदर्भ में दिनांक 17 जुलाई, 2009 को मा0 सर्वोच्च न्यायालय में एस0एल0पी0 पर सुनवाई के उपरान्त प्राप्त होने वाले आदेशों के क्रम में काउन्सिलिंग संबंधी अगली सूचना दिनांक 18.7.2009 को उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ की वेबसाइट www.uptu.nic.in पर उपलब्ध कराई जायेगी। सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे विश्वविद्यालय की उक्त वेबसाइट पर काउन्सिलिंग से संबंधित निरन्तर उपलब्ध कराई जाने वाली सूचनाओं से अवगत रहें। यह भी सूचित किया जाता है कि वर्णित स्थिति में उन्हें अलग से किसी प्रकार का काउन्सिलिंग पत्र नहीं भेजा जा सकेगा। काउन्सिलिंग संबंधित परिवर्तित कार्यक्रम यथा-समय विश्वविद्यालय की उक्त वेबसाइट के साथ समाचार पत्रों में भी प्रकाशित कराया जायेगा।

काउन्सिलिंग कार्यक्रम में उक्त परिवर्तन के कारण अभ्यर्थियों/अभिभावकों को होने वाली असुविधा के लिए खेद है।

कुलसचिव